

प्रेशक,

निदेशक,
 भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
 भोपालपानी, देहरादून।

सेवा में,

- 1— समस्त जिलाधिकारी,
 उत्तराखण्ड।
- 2—उपनिदेशक / ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
 बागेश्वर / पिथौरागढ़ / अल्मोड़ा / नैनीताल / उधमसिंहनगर / चम्पावत / चमोली / रुद्रप्रयाग / टिहरी
 गढवाल / उत्तरकाशी / पौड़ी गढवाल / देहरादून / हरिद्वार।

संख्या: 706 / मु०ख० / 39 / भू०ख०नि०ई० / NMET / 2015–16,

दिनांक // अगस्त 2017

विषय: राष्ट्रीय खनन अन्वेषण संस्था (NMET) के कोष हेतु अंशदान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
 महोदय,

उपरोक्त विषयक औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1010/VII-I/07-ख/2016 दिनांक 05 अगस्त, 2016 (प्रति संलग्न) जो समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड को सम्बोधित व अन्य के साथ निदेशालय को पृष्ठाकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से खान मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-6/1/2015-NMET दिनांक 14 सितम्बर 2015 के क्रम में राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (NMET) के कोष हेतु अंशदान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्रदान प्रदान किये गये हैं।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर –3 में उल्लिखित है कि “ कि ”राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (NMET) के कोष हेतु अंशदान जमा कराये जाने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा एस०बी०आई० में एक खाता खोला जायेगा, जिसमें प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी/भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा प्राधिकृत विभागीय अधिकारी द्वारा जनपद के पट्टाधारक से राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास हेतु अंशदान जमा करते हुए उसकी एक रसीद अपने कार्यालय में संचित करते हुए उसका मासिक विवरण निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास हेतु संकलित धनराशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के कार्यालय एवं भारतीय खान ब्यूरों को प्रेषित की जायेगी। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के द्वारा राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (NMET) के कोष हेतु जमा की गई अंशदान की राशि की सूचना वर्ष के अन्त में शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

शासन के उक्त पत्र संख्या 1010/VII-I/07-ख/2016 दिनांक 05 अगस्त, 2016 के प्रस्तर-3 के अनुपालन में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के नाम भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा देहरादून में खाता खोल लिया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

Name of Bank State Bank of India

Name of the Account Director Geology & Mining Unit,
 Directorate of Industries
 Uttarakhand.

Current Account No 37049778129

Branch Main Branch (000630) Convent
 Road Dehradun.

IFSC Code SBIN0000630

औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1010/VII-I/07-ख/2016 दिनांक 05 अगस्त 2016 में उल्लिखित किया गया है कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 में किये गये प्रावधानानुसार खनिज की रायल्टी के अतिरिक्त 2 प्रतिशत ली धनराशि खनन पट्टाधारक से वसूल कर दिनांक 12-01-2015 से जमा करवायी जानी है। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक माह की रायल्टी के अतिरिक्त 2 प्रतिशत की धनराशि आगमी माह की 10 तारीख तक राष्ट्रीय खनिज खोज न्याय (NMET) के खाते में जमा की जानी है।

अतः अनुरोध है कि औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1010/VII-I/07-ख/2016 दिनांक 05 अगस्त 2016 द्वारा दिये गये दिशानिर्देशानुसार खनिज की रायल्टी के अतिरिक्त 2 प्रतिशत की धनराशि खनन पट्टाधारक से वसूल कर दिनांक 12-01-2015 से जमा करवाते हुये जमा किये गये अंशदान का विवरण क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, देहरादून के पत्र संख्या File N0-613/93/-2016-DDN दिनांक 28-03-2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रारूप पर तत्जाल निदेशालय को उपलब्ध करवाने के साथ ही आगमी नाह से खनिज की रायल्टी के अतिरिक्त 2 प्रतिशत की धनराशि खनन पट्टाधारक से वसूल कर उक्त खाते में जमा करवाते हुये उसका मालिक विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त धनराशि को राष्ट्रीय खनिज खोज न्याय (NMET) के खाते में प्रत्येक माह के 10 तारीख तक स्थानान्तरित (Transfer) किया जा सके इ जना किये गए अंशदान की राशि की सूचना वर्ष के अन्त में शासन को उपलब्ध कराई जा सके।

संलग्नक: वथोपरि।

भवदीय,

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक ।

पृष्ठांक 706 /मुख्य/39 /मुख्यनिर्दीर्घ/ NMET/2015-16 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुननार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- प्रमुख सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को शासनादेश संख्या 1010/VII-I/07-ख/2016 दिनांक 05 अगस्त 2016 के रूप में।
- मुख्य खनिज के पट्टाधारकों (नाम से).....

..... को इस निर्देश के साथ प्रेषित की औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1010/VII-I/07-ख/2016 दिनांक 05 अगस्त 2016 द्वारा दिये गये दिशानिर्देशानुसार खनिज की रायल्टी के अतिरिक्त 2 प्रतिशत की धनराशि राष्ट्रीय खनिज खोज न्याय (NMET) के खाते में जमा किये जाने हेतु उक्त खाते में यथा शीघ्र जमा करना सुनिश्चित करें।

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक।

।

प्रधक.

शैलेश बगोली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संवाद में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

४७
२५/११६-



औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक ०५ अक्टूबर २०१६

विषय: राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (NMET) के कोष हेतु अंशदान उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-६/१/२०१६-NMET दिनांक १४ सितम्बर, २०१५ (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

२- अवगत कराया जाना है कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, १९५७ में संशोधन दिनांक २७.३.२०१५, जो दिनांक १२.१.२०१५ से प्रभावी है। इस खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम २०१५ की धारा ९C(4) में रायल्टी का २ प्रतिशत अतिरिक्त रूप से राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास ने जमा किया जाना आवश्यित है। खान मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-सारका०नि० ६३२(अ) दिनांक १४ अगस्त, २०१५ द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का ६७) की धारा-७ग की उपधारा (२), उपधारा (३) और उपधारा (४) तथा धारा १३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम-१ में उल्लिखित किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा सन्दर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :-

(1) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०१५ की धारा ९C(4) में रायल्टी का २ प्रतिशत अतिरिक्त रूप से राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के निम्न खाते में जमा कराया जाना है :-

Name of Bank	- State Bank of India
Name of the Account	- National Mineral Exploration Trust (NMET)
Current Account No	- 35197602182
Branch	- Main Branch (691), 11 Parliament Street, New Delhi-110001
IFSC Code	- SBIN0000691

(2) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०१५ में किये गये प्रावधानानुसार खनिज की रायल्टी के अतिरिक्त २ प्रतिशत की धनराशि खनन पट्टाधारक संसूल कर दिनांक १२.१.२०१५ से जमा करवाकर उक्त खाते में जमा किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक माह की रायल्टी के अतिरिक्त २ प्रतिशत की धनराशि आगामी माह की १० तारीख तक उक्त खाते में जमा की जानी है, जिसका विवरण मासिक रूप से राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के कार्यालय एवं भारतीय खान व्यापार को प्रेषित किया जाना है। चूंकि वर्तमान में राज्य में खनिजों की रायल्टी बैमासिक वसूल की जाती है, अतः राज्य में खनिजों की रायल्टी भासिक रूप से वसूल किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(3) राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (NMET) के कोष हेतु अंशदान जमा कराये जाने हेतु निवेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा SBI ने एक खाता खोला जाएगा, जिसमें प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी/भूतत्व एवं खनिकर्म निवेशालय द्वारा प्राप्तिकृत विभागीय अधिकारी द्वारा जनपद के पट्टाधारक से राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास हेतु अंशदान जमा करते

इस उत्तरकी एक स्तीव अपने कार्यालय में संवित करते हुए उत्तरका पासिक विवरण निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकम् इकाई, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा। निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकम् इकाई द्वारा राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास हेतु संकलित धनराशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के कार्यालय एवं भारतीय खान आदि को प्रेषित की जायेगा। निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकम् इकाई के द्वारा राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (NMET) के कोष हेतु जमा की गई अंशदान की राशि की सूचना वर्ष के अन्त में शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

- (4) जिन मुख्य खनिज पट्टाधारकों द्वारा खनन पद्धति की साथली जमा नहीं की जा रही है, इसकी सूचना पृथक से उपलब्ध कराई जायेगी। भविष्य में पट्टाधारक द्वारा अपरिहार्य भाटक (डिडरन्ट) जमा कराये जाने के समय राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के कोष हेतु अंशदान अतिरिक्त रूप से जमा किया जायेगा। संबंधित जनपद के भूतत्त्व एवं खनिकम् निदेशालय द्वारा प्राप्ति कृत विभागीय अधिकारी द्वारा आगामी माह में खनिज पट्टाधारक को रखना निर्गत किये पूर्व राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास हेतु अंशदान जमा कराया जाना अपरिहार्य होगा।
- (5) राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास हेतु पट्टाधारक द्वारा जमा की गई धनराशि का बैंकसिक रूप से अनुश्रवण मण्डलीय उप निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकम् इकाई द्वारा किया जायेगा तथा इसकी सूचना निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकम् इकाई को प्रेषित की जायेगी। इस संबंध में की गई अपील का निस्तारण मण्डलीय उप निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकम् इकाई तथा पुनरीक्षण अपील का निस्तारण निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकम् इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा।

3— अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास तथा जिता खनिज संस्थान में दर्तनान में कार्यरत मुख्य खनिज के खनन पद्धतों तथा भविष्य में खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 के अधीन स्वीकृत होने वाले खनन पद्धतों एवं ग्रास्पेक्टिम—कम—खनन पद्धतों हेतु राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (NMET) के कोष हेतु अंशदान जमा किये जाने हेतु भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में समयबद्ध आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कर्तृत करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(शीलेश बगोली)

सचिव

संख्या—1010 (1)/VII-I/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकम् इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र संख्या—1760/मु०ख०/39/भू०खनि०ई०/NMET/2015-16 दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 के क्रम में इस आलाय के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में खान मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्रों द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप मामले में अनुश्रवण कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कर्तृत करें।
2. उप निदेशक, खनन, भूतत्त्व एवं खनिकम्, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल।
3. मार्ड फाईल।

आङ्गी से

(विनय शक्तर पाण्डेय)

अपर सचिव

Format for filling details of royalty and NMET collection

Name of State:

1. For Minerals other than coal under second schedule

	Month	Royalty Collected	2% of royalty (NMET amount)	NMET amount collected for the month (Cumulative)	NMET amount transferred into Central account
1	12-31 Jan 2015				
2	February 2015				
3	March 2015				
	Total				
2015-16					
4	April 2015				
5	May 2015				
6	June 2015				
7	July 2015				
8	August 2015				
9	September 2015				
10	October 2015				
11	November 2015				
12	December 2015				
13	January 2016				
14	February 2016				
15	March 2016				
	Total				
2016-17					
16	April 2016				
17	May 2016				
18	June 2016				
19	July 2016				
20	August 2016				
21	September 2016				
22	October 2016				
23	November 2016				
24	December 2016				
25	January 2017				
26	February 2017				
	Total				

Place:

(Authorised Signature)

Date:

(114)

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान व्यास
प्राधान खान नियंत्रक का कार्यालय

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES
OFFICE OF THE REGIONAL CONTROLLER OF MINES

संख्या / File No -613(93)/2016-DDN

FAX/Speed Post/e-mail

100—ओल्ड नेहरू कॉलनी, देहरादून (उत्तराखण्ड),
100-Old Nehru Colony, IBM, Dehradun (UK)
दिनांक / Dated 28.03.2017

संवाद में / To	1 State Geologist Department of Industries, Govt of Punjab, Chandigarh	2 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय देहरादून, (उत्तराखण्ड)	3 राज्य भूवैज्ञानिक उद्योग विभाग उद्योग भवन शिमला (हि प्र.)	4 The Director, Department of Mines & Geology, Jammu / Kashmir (J&K)
	5 राज्य खनन अनियंत्रा, खान एवं सुगम विभाग हरियाणा सरकार चंडीगढ़।	6 निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ल.प्र., लखनऊ		

Sub. : Details of royalty and NMET contribution from 12.01.2015

Sir,

As you are aware that in the fourth meeting of the executive committee of NMET held on dated 21.02.2017, it was decided that all states have to provide month-wise details of royalty collection and NMET contribution received w.e.f. 12.01.2015. The Regional Controller of Mines are the nodal officers of IBM for NMET. The Ministry has further requested to send the said requisite data by 30th March 2017.

In this context you are once requested to provide the said data in the enclosed format by tomorrow positively i.e. by 30.03.2017 directly to NMET Secretariat, New Delhi under intimation to this office. This may be treated as most urgent and time bound.

संलग्न / Encl: As above

भवदीय / Yours faithfully,

संलग्न (14 अप्रृष्ट) 23/3/2017

(लोड अरो गुर्जर / D. R. Gurjar)

लहान खान नियंत्रक / Assistant Controller of Mines

कृति प्रभारी अधिकारी / for OIC

भारतीय खान व्यास / Indian Bureau of Mines